भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2151

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधियों में इथाइल अल्कोहल

†2151. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अल्कोहल की उच्च मात्रा वाले औषधि फॉर्मुलेशन को सख्ती से विनियमित करने के लिए नियमों में संशोधन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाले फॉर्मुलेशन के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया है;
(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ फॉर्मूलेशन में इथाइल अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कुछ मामलों में 80 से 90% वी/वी तक होती है जिससे वे नशे के लिए दुरुपयोग के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से तत्काल विनियामक संदर्भ और शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकार को उत्तर प्रदेश के राज्य औषधि नियंत्रक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें टिंचर/अल्कोहलयुक्त संपाक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा ओषधि नियम, 1945 के अंतर्गत उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की गई थी।

उक्त विषय पर दिनांक 01.06.2023 को आयोजित औषधि परामर्शदात्री समिति की 61वीं बैठक तथा तत्पश्चात दिनांक 25.01.2024 को आयोजित औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की 90वीं बैठक में विचार-

विमर्श किया गया। तत्पश्चात, सरकार ने दिनांक 08.07.2026 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 607(अ) के द्वारा ओषधि नियम, 1945 में संशोधन किया है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार, 12% v/v से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त सभी औषधीय विनिर्माण, जिन्हें 30 मि.ली. से अधिक क्षमता वाले पैक अथवा बोतलों में पैक एवं विक्रय किया जाता है, अब ओषधि नियम, 1945 की अनुसूची 'के' के अंतर्गत प्रदत्त छूट के दायरे में नहीं आएंगे।

फलस्वरूप, ऐसे सभी मुख सेव्य औषधीय विनिर्माण अब ओषधि नियम, 1945 की अनुसूची 'एच1' के अंतर्गत आते हैं। जिससे इनका विक्रय केवल पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर के चिकित्सकीय पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के आधार पर ही किया जा सकेगा तथा इनके विक्रय संबंधी अभिलेखों को अधिक सख्ती से रखना होगा तथा उक्त नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त संशोधन राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह माह के उपरांत प्रभावी होगें।
